

कार्यालय:- अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक अल्पकालीन ई0-निविदा सूचना :-

महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएँ, निरीक्षणालय, बिहार पटना के पत्रांक-कारा/बजट/(निविदा)-18-01/2019-2380, दिनांक-30.03.2020 के आलोक में केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निम्नांकित खाद्य सामग्रियों एवं त्रैमासिक आलू, हरी सब्जियों तथा विविध सामग्रियों के क्रय एवं कतिपय अनुपयोगी सामग्रियों के बिक्रय हेतु तथा केन्द्रीय कारा, बक्सर के निर्माणशाला में दैनिक व्यवहार की सामग्रियों (कच्चे मालों को छोड़कर) के क्रय हेतु अलग-अलग ई0-निविदा आमंत्रित की गई। किन्तु कतिपय सामग्रियों का दर व्यवहारानुकूल नहीं रहने के कारण जिला कारा क्रय समिति द्वारा वित्तीय वर्ष (2020-21) हेतु पूर्व में आमंत्रित निविदा के कतिपय सामग्रियों का निविदा रद्द करते हुए पुनः कारा की आवश्यकता एवं अनुशासन को बनाये रखने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, के आलोक में पुनः वित्तीय वर्ष (20-21) दिनांक-08.12.2020 से 31 मार्च 2021 तक केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के ई0-निविदा में अंकित सामग्रियों के क्रम के अनुसार ही सुस्पष्ट अंकन ई0-टेंडर में होना चाहिए अन्यथा निविदा पर निर्णय नहीं लिया जायेगा। जिला कारा क्रय समिति को आवश्यकता पड़ने पर निगोशियेशन अथवा डाक बोली का प्रयोग किया जा सकता है। ई0-निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ निम्न प्रकार है :-

SHORT TERM E-TENDER NOTICE NO-02, DATE :- 13.11.2020

S.N.	Activity	Date/Time/Duration
1	Name of office and address	Superintendent Central Jail, Buxar, Female District Jail, Buxar and Open Jail, Buxar
2	Name of Work	For "Selection of Agencies/firms from supply for Food Grains, Quarterly Green Vegetables, Potato, Onion and Other Miscellaneous goods and manufacturing items of daily use for prisoners and maintenance of office at Central Jail, Buxar, Female District Jail, Buxar and Open Jail, Buxar for the financial year 2020-21.
3	Tender fee BOQ fee	NIL
4	Tender Processing Fee	As prescribed by BSEDC Ltd. Patna (Online payment only)
5	Online sale/Download date of tender document	17.11.2020 to 29.11.2020 - Time 01:00 PM https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON
6	Pre Bid Meeting (if required)	23.11.2020 in the meeting hall of collectorate, buxar
7	Minutes of pre-bid meeting to be uploaded (if required)	25.11.2020 Should be uploaded through Corrigendum
8	Date/Time for submission/ Uploading of offer/Bid	29.11.2020 - Time 04:00 PM https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON
9	Submission of EMD through online mode only	Upto 26.11.2020, 04:00 PM and will be submitted separately for each section of tender and for each prison through https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON and generated challan will be submitted in technical bid.
10	Date and time for opening of technical Bid	04.12.2020 (02:00 PM) In the meeting hall of collectorate, buxar
11	Contact person/Nodal officer for queries	Sri Rajiv Kumar, Superintendent, Central Jail, Buxar Email ID-cj_bux@rediffmail.com Mobile No.-9471009831 Phone No.-06183-222011
12	Financial bid opening date and time	07.12.2020 (01:00 PM) In the meeting hall of collectorate, buxar

- नोट :-**
- उपरोक्त संबंधित निविदा Website-<https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON> पर केवल e-Tender द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। पूर्ण जानकारी उपरोक्त Website पर प्राप्त किया जा सकता है।
 - e-Tender को Online Upload करने संबंधित जानकारी के लिए e-tender helpline no-0612-2523006/7542028164-Address -E-tendering/E-Procurement Helpdesk, 1st floor M/22, Road No.25, Sri Krishna Nagar, Patna से संपर्क किया जा सकता है।

[Handwritten Signature]
13/11/2020

“ई0निविदा की सामान्य शर्तें”

- i. निविदादाताओं को BELTRON Portal पर निबंधित होना अनिवार्य होगा।
- ii. निविदा तीन खण्डों यथा—क,ख, एवं ग में विभक्त किया गया है। इसमें खण्ड—क (प्रमुख खाद्य सामग्रियों यथा—चायपत्ती, गोलदाना, कोयला स्टीम—ग्रेड—2, रिफाइन (धारा ब्रांड) प्रति लीटर, जलावन लकड़ी, स्वस्थ्य मुर्गा का मांस, ताजी एवं स्वस्थ मछली का मांस (रेहु/कतला साफ कर एवं काटकर), अरवा चावल, सोयाबीन बड़ी, मटर, चना का सतू (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), ब्रेड (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), सरसो तेल (धारा ब्रांड) (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), दुग्ध चूर्ण (अमूल्या, सागर, कृष्णा, सुधा) (सुधा दूध अनुपलब्ध रहने एवं कम्फेड द्वारा दुग्ध चूर्ण उपलब्ध नहीं होने पर), खण्ड ‘ख’ में हरी सब्जियाँ, फल इत्यादि एवं खण्ड ‘ग’ में दैनिक विविध सामग्रियाँ शामिल है, जो संवेदक किसी एक या एक से अधिक खण्डों में विभक्त सामानों की निविदा लेना चाहेंगे वे उस सभी खण्डों की निविदा समर्पित कर सकते हैं। निविदादाता को तीनों काराओं के लिए निविदा में भाग लेना अनिवार्य होगा। तीनों काराओं के लिए सामग्रियों की दर एक समान होगी।
- iii. निविदा दो भागों में यथा (1) तकनीकी भाग (तीनों काराओं के लिए एक) एवं (2) वित्तीय भाग केवल ऑन—लाईन (Online) माध्यम से (Website-<https://www.eproc.bihar.gov.in/> BELTRON) प्राप्त किया जायेगा एवं सभी संबंधित कागजात उक्त वेबसाईट पर Online के माध्यम से जमा किया जाना है। अनावश्यक कागजात को अपलोड करने पर निविदा प्रक्रिया विलंबित या गलत मंशा रहने के कारण उक्त निविदा रद्द कर दी जायेगी। वित्तीय भाग में e-procurement के विहित प्रपत्र में दरों को अंकित की जायेगी। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग—अलग e-procurement format में अंकित की जायेगी। यदि वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा एक ही e-procurement format में अंकित की जायेगी तो उक्त निविदा को एक सिरे से ही रद्द कर दी जायेगी।
- iv. जिला कारा क्रय समिति द्वारा निविदादाताओं की सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को खोलते हुए उसकी समीक्षा की जायेगी और तकनीकी निविदा हेतु विहित शर्तों/अहर्ता के अपूर्ण पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी। प्रत्येक कारा के लिए अग्रघन ऑनलाईन/ ई0—चालान के द्वारा एवं सफल निविदादाता द्वारा “सुरक्षित जमा बैंक गारंटी” के रूप में अलग—अलग संबंधित अधीक्षक (जिस कारा के लिए निविदा दी गई है) के नाम से जमा करना होगा। वित्तीय निविदा के e-procurement format में प्रत्येक कारा के लिए अलग—अलग कारा के नाम, अवधि, खाद्यान्न, सामग्री, हरी सब्जी, विविध सामग्री एवं निर्माणशाला हेतु अंकित की जायेगी। साथ ही साथ निविदादाता को किसी सरकारी प्रतिष्ठान में खाद्यान्न एवं सामग्रियों के आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए। तकनीकी निविदा के साथ सभी अद्यतन प्रमाण पत्रों की पठनीय प्रति अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अमान्य होगी। अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा। सिर्फ अपलोड किये कागजातों पर विचार किया जायेगा एवं यह माना जायेगा कि यह आपके द्वारा किया गया है। सभी कागजात सही हैं, यह आशय का नोटरी से शपथ पत्र मूल में देना अनिवार्य है, जो निविदा आमंत्रण तिथि के बाद का हो, इसके अभाव में समर्पित निविदा अमान्य समझी जायेगी। अग्रघन राशि (EMD) जमा करने की रसीद को अधीक्षक कार्यालय में दिनांक—27.11.2020 के अपराहन 04:00 बजे तक तथा तकनीकी निविदा एवं अन्य कागजात को Website-<https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON> पर Uploaded कागजात की हार्ड कॉपी कारा कार्यालय में दिनांक—04.12.2020 के पूर्वाहन 11:00 बजे के पूर्व निश्चित रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

 
13/11/2020

- v. तकनीकी निविदा के सफल निविदादाताओं का ही उनके द्वारा समर्पित निविदा के वित्तीय भाग को खोला जायेगा।
- vi. खण्ड-‘क’ प्रमुख खाद्य सामग्रियों यथा-चायपत्ती, गोलदाना, कोयला स्टीम-ग्रेड-2, रिफाइन (धारा ब्रांड) प्रति लीटर, जलावन लकड़ी, स्वस्थ्य मुर्गा का मांस, ताजी एवं स्वस्थ मछली का मांस (रेहु/कतला साफ कर एवं काटकर), अरवा चावल, सोयाबीन बड़ी, मटर, चना का सतू (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), ब्रेड (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), सरसो तेल (धारा ब्रांड) (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), दुग्ध चूर्ण (अमूल्या, सागर, कृष्णा, सुधा) (सुधा दूध अनुपलब्ध रहने एवं कम्फेड द्वारा दुग्ध चूर्ण उपलब्ध नहीं होने पर) के निविदा हेतु इच्छुक एवं तकनीकी निविदा के सफल निविदादाताओं को सभी प्रकार के खाद्यान्नों का एक-एक किलों का नमूना कारा क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। क्रय समिति द्वारा प्राप्त नमूना स्वीकृत करने पर न्यूनतम दर अनुशंसित/स्वीकृत किया जायेगा।
- vii. कारा क्रय समिति द्वारा उक्त निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों के नमूने तथा वित्तीय निविदा में उनके द्वारा उल्लेखित दरों के समीक्षोपरांत उक्त सामग्री हेतु निविदा award की जायेगी तथा नमूनों को सील बंद कर कारा प्रशासन द्वारा रखा जायेगा और स्वीकृत निविदा के आधार पर आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूरित की जानेवाली सामग्रियों से मिलान करते हुए गुणवत्ता का स्तर निरंतर अक्षुण्ण रखा जायेगा।
- viii. दरों की अंतिम स्वीकृति बिहार कारा हस्तक 2012, बिहार वित्त नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में जिला कारा क्रय समिति द्वारा दी जायेगी।
- ix. निविदा लेकर मुकर जाने, समय पर आपूर्ति नहीं करने, घटिया सामग्री की आपूर्ति करने तथा पूर्व में कोई ऐसे आरोप या कालीकरण का प्रस्ताव विचारार्थ लंबित नहीं हो। ऐसा पाये जाने पर संबंधित फर्म के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उनकी सुरक्षित जमा राशि जब्त करते हुए कालीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी एवं संबंधित फर्म भविष्य में कारा में आपूर्ति के लिए अनर्हक होंगे।
- x. खाद्यान्नों तथा आलू, हरी सब्जी, प्याज एवं विविध सामग्रियों की आपूर्ति कारा प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार ली जायेगी।
- xi. सफल निविदादाताओं को कारा की आवश्यकतानुसार आदेशित मात्रा में सामग्रियों को कारा गोदाम तक पहुँचाना होगा। संवेदकों को आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं करनी होगी तथा निधि के अभाव में भुगतान में विलंब की स्थिति में भी आपूर्ति बंद नहीं की जायेगी और न ही इसके लिए न्यायालय की शरण जाने की छुट होगी।
- xii. सफल निविदादाताओं को आपूर्ति किए जानेवाले सामग्रियों के एक वर्ष के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत सुरक्षित जमा (सिक्यूरिटी डिपोजीट) बैंक गारंटी के रूप में संबंधि काराधीक्षक के पदनाम से प्रतिज्ञित करना होगा तथा ठीकाबंध (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा।
- xiii. अग्रधन राशि/सुरक्षित जमा राशि/शपथ पत्र सत्यापन में गलत पाये जाने की स्थिति में संबंधित संवेदक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- xiv. आपूरित सामग्रियों का वजन बोरा/बोरी का वजन घटाकर मान्य होगा।
- xv. सभी सामग्रियों की कारा में आपूर्ति मैट्रिक प्रणाली में नमूना के अनुरूप बनावन रहित सभी व्यय करो के साथ कारा गोदाम पर आपूरकों को अपने बोरो/कन्टेनरों जिसपर “कारा में आपूर्ति हेतु” (Only for jail Consumption) लिखा हो, अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। जिसे खाली होने पर बिना क्षतिपूर्ति आपूरक को वापस कर दिया जायेगा। वैसे सामग्री जो कम्पनी पैकेट/कन्टेनरों में होंगे खाली होने पर भी वापस नहीं होगा। दतवन, हरी सब्जी, फल ताजा एवं कुछ विविध सामग्रियाँ आवश्यकता माँग के अनुरूप दैनिक आधार पर आपूर्ति करना



 01/11/2020

होगा। निविदादाताओं द्वारा सुनिश्चित करना होगा कि उनका दर स्थानीय बाजार दर के अनुरूप हो अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। आलू, प्याज एवं हरी सब्जी के लिए वर्ष के चारों त्रैमासिक अवधि की निविदा अलग-अलग पन्नों में स्वीकार की जायेगी। किसी भी द्वंद की स्थिति में स्थानीयता को प्रश्रय दी जायेगी।

- xvi.** कारा को आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की अच्छी तरह से जाँच पड़ताल आपूर्तिकर्ता द्वारा कारा में आपूर्ति के पूर्व स्वयं कर ली जायेगी। उनके द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के साथ किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री कारा में प्रवेश कराये जाने की स्थिति में संबंधित आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कालीकृत कर दिया जायेगा एवं संबंधित फर्म भविष्य में कारा में आपूर्ति के लिए अनर्हक होंगे।
- xvii.** आपूरित सामग्री का सत्यापन :- जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार आपूरित सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता का औचक सत्यापन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपूरित खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच प्रत्येक तिमाही में असैनिक शल्य चिकित्सक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा भी अनिवार्य रूप से की जायेगी एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन जिलाधिकारी एवं काराधीक्षक को समर्पित किया जायेगा। जाँच में आपूरित खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता में कमी अथवा त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति लिया जाना रोक दिया जायेगा और सत्यंकार की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- xviii.** निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार जिला कारा क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा। कारा क्रय समिति द्वारा अनुशंसित एवं जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर सभी को मान्य होगा।
- xix.** निविदा खुलने के बाद कोई पेपर/अभिलेख स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- xx.** वित्तीय निविदा में कटिंग या ओभर राईटिंग/शुद्धि किए जाने पर निविदा रद्द कर दी जायेगी।
- xxi.** दरों का निर्धारण 1 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए किया जायेगा। निविदा में सफल संवेदक द्वारा किसी कारणवश संबंधित सामान की आपूर्ति ससमय नहीं करने की स्थिति में कारा प्रशासन लोकहित (बंदियों के हित में) में उक्त सामान दुसरे सफल संवेदक (L2) से उसी दर पर (L1 के दर) या बाजार से लेने की छुट रहेगी तथा यदि कोई अधिकाई व्यय होता है, तो उसकी भरपाई defaulter आपूरक के विपत्र से या सत्यंकार राशि से की जायेगी। अधिकाई भुगतान defaulter आपूरक के द्वारा नहीं करने पर आवश्यक कानुनी कार्रवाई की जायेगी एवं भविष्य में होने वाले कारा निविदा से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा और कालीकरण की आवश्यकता कार्रवाई भी की जायेगी।
- xxii.** जिला कारा क्रय समिति को अधिकार होगा कि निविदादाताओं द्वारा किसी भी सामग्री का व्यवहानुकूल दर नहीं प्राप्त (बाजार दर से बहुत ज्यादा या कम) होने की स्थिति में संबंधित निविदादाताओं की पुरी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- xxiii.** ई0-टेंडर से संबंधित जानकारी www.buxar.nic.in तथा www.prd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है अथवा अधिक जानकारी हेतु कारा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।


13/11/2020

तकनीकी निविदा शर्तें (निम्नलिखित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा)

1. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अद्यतन स्वच्छता चरित्र प्रमाण पत्र।
2. PAN CARD की छायाप्रति।
3. अद्यतन आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित प्रति—तकनीकी निविदा के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न।
4. GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. अद्यतन GST रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित प्रति – रेगुलर स्कीम के निविदादाता/करदाता की स्थिति में माह अक्टूबर 2020 की मासिक रिटर्न GSTR-3B तथा कम्पोजिसन स्कीम के निविदादाता/करदाता की स्थिति में जुलाई-सितम्बर 2020 के लिए दाखिल Quarterly Statement CMP-08 की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
6. खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 (FSSAI-2006) संबंधित लाईसेंस की स्वहस्ताक्षरित प्रति।
- 7.(a) सभी काराओं के लिए खण्ड 'क' (प्रमुख खाद्य सामग्रियों यथा-चायपत्ती, गोलदाना, कोयला स्टीम-ग्रेड-2, रिफाइन (धारा ब्रांड) प्रति लीटर, जलावन लकड़ी, स्वस्थ्य मुर्गा का मांस, ताजी एवं स्वस्थ मछली का मांस (रेहु/कतला साफ कर एवं काटकर), अरवा चावल, सोयाबीन बड़ी, मटर, चना का सतू (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), ब्रेड (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), सरसो तेल (धारा ब्रांड) (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), दुग्ध चूर्ण (अमूल्या, सागर, कृष्णा, सुधा) (सुधा दूध अनुपलब्ध रहने एवं कम्फेड द्वारा दुग्ध चूर्ण उपलब्ध नहीं होने पर) के निविदादाताओं हेतु यह आवश्यक होगा कि निविदादाता आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो एवं इस हेतु विगत दो वित्तीय वर्षों 2017-18 एवं 2018-19 का स्वहस्ताक्षरित आय-व्यय का ब्योरा [Financial Statement जिसमें संबंधित निविदादाता द्वारा Balance Sheet एवं Profit & Loss Account से संबंधित अभिलेख जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट (UDIN No जहाँ प्रयुक्त हो) सहित से सत्यापित हो, दिया जायेगा], जमा करेंगे। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम/बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 सहपठित संबद्ध नियमावली (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत दाखिल वार्षिक विवरणी (Annual Return) की स्व-अभिप्रमाणित प्रति एवं अप्रैल-जून 2017 के लिए VAT अधिनियम एवं संबद्ध नियमावली के अंतर्गत दाखिल रिटर्न (वार्षिक या त्रैमासिक) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करेंगे, जिसकी सम्पुष्टि हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के Financial Statement में वर्णित/ उल्लेखित/घोषित sale & purchase की राशि, उक्त दो वर्षों के लिए समर्पित वार्षिक विवरणी (Annual Return) में घोषित वार्षिक सकल आवर्त (Annual Turnover) की राशि से संपुष्ट नहीं होने पर निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
(नोट-निविदा के खण्ड 'क' छोड़कर अन्य खंडों यथा 'ख' एवं 'ग' के निविदा हेतु इसकी आवश्यकता नहीं होगी)।
- 7.(b) कम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले निविदादाता/करदाता केन्द्रीय माल एवं सेवा/बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 सहपठित संबद्ध नियमावली (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार कर लेने के लिए अधिकृत नहीं है, अतः ऐसे करदाता/निविदादाता के द्वारा दी गई निविदा की राशि कर रहित समझी जाएगी और Regular स्कीम के निविदादाता द्वारा दी गई कर सहित निविदा राशि से तुलना के लिए निविदा की कुल राशि से कर की राशि घटा कर तुलनात्मक विवरणी बनाई जाएगी। अतः सभी रेगुलर स्कीम वाले निविदादाता अनिवार्य रूप से सामग्री अनुसार अपनी निविदा की राशि, उस पर उदग्राह्य (leviable) कर की दर, तदनुसार कर की राशि और कर सहित कुल राशि अलग-अलग उल्लेखित/प्रदर्शित करेंगे।
8. निविदादाता फर्म को किसी भी सरकारी संस्थान/संगठन कार्यालय/उपकम/ संस्था/समिति द्वारा कालीकृत न किया गया हो और न ही कालीकृत किये जाने संबंधित कोई प्रक्रिया लंबित हो तथा उनके ऊपर कोई अपराधिक वाद लंबित नहीं हो, इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में देना होगा।
9. निविदादाताओं को निम्न विवरण के अनुसार अग्रधन राशि Online/e-challan के माध्यम से जमा कर रसीद की प्रति तकनीकी निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा:-

कारा का नाम	खाद्यान्न एवं प्रमुख सामग्री खण्ड 'क'	विविध एवं अन्य सामग्री खण्ड-ख एवं ग
केन्द्रीय कारा, बक्सर	50,000.00	15,000.00
महिला मंडल कारा, बक्सर	40,000.00	10,000.00
मुक्त कारागार, बक्सर	30,000.00	5,000.00




 07/11/2020

वित्तीय निविदा की शर्तः-

1. वित्तीय निविदा में सामग्री विशेष न्यूनतम दर अंकित करनेवाले निविदादाताओं को ही निविदा आवंटित की जाएगी एवं ठीकाबंध किया जायेगा।
2. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत अद्यतन प्रावधानों के आलोक में जिला कारा क्रय समिति द्वारा निविदा का अंतिम रूप से निष्पादन किया जायेगा।
नोटः-उपर्युक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

Disclaimer

1. निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की कठिनाई से बचने के लिए वे (अंतिम तिथि के पूर्व) अपने निविदा को बेवसाईट पर अपलोड करेंगे।
2. अगर किसी कारणवश निविदा ससमय बेवसाईट पर अपलोड नहीं किया जाता है तो उसके लिए जिला कारा क्रय समिति जिम्मेवार नहीं होगी।
3. किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के लिए जिला कारा क्रय समिति जिम्मेवार नहीं होगी।



13/11/20

(खण्ड-क)

केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर
के लिए

प्रमुख खाद्य सामग्रियों दिनांक 08.12.2020 से 31.03.2021 तक

क्र०	सामग्रियों का नाम
1	अरहर दाल-(प्रति किलो में)
2	पीली चक्की गुड़-(प्रति किलो में)
3	चायपत्ती (गोल दाना)-(प्रति किलो में)
4	कोयला (स्टीम ग्रेड-II)-(प्रति किलो में)-(आपात स्थिति में लिया जायेगा)
5	रिफाईन (धारा ब्राण्ड)-(प्रति लीटर में)
6	जलावन लकड़ी-(प्रति किलो में)
7	स्वस्थ मुर्गा का मांस (ड्रेस्ट चिकन साफ कर एवं चमड़ी रहित)-(प्रति किलो में)
8	ताजी एवं स्वस्थ मछली का मांस (रिहू/कतला साफ कर एवं काटकर)-(प्रति किलो में)
9	अरवा चावल (खीर के लिए) -(प्रति किलो में)
10	सोयाबीन बड़ी-(प्रति किलो में)
11	मटर-(प्रति किलो में)
12	चना का सतू (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर)-(प्रति किलो में)
13	ब्रेड (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर-4 पीस 100 ग्राम)-(प्रति किलो में)
14	सरसों तेल (धारा ब्रांड) - निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर-(प्रति लीटर)
15	दुग्ध चूर्ण (अमूल्या, कृष्णा, सागर, सुधा)-(प्रति किलो में) (सुधा दूध अनुपलब्ध रहने एवं कम्पेड द्वारा दुग्ध चूर्ण उपलब्ध नहीं होने पर)

2

13/11/21

खण्ड—(ख)

केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर के लिए

दिनांक 08.12.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक के लिए हरी सब्जियाँ, फल, आलू एवं प्याज प्रति किलो :-

1. कागजी नींबू (मध्यम आकार का)—प्रति नग	12. परवल—प्रति किलो	23. पका केला—प्रति दर्जन
2. बैंगन—प्रति किलो	13. बंधागोभी—प्रति किलो	24. संतरा—प्रति किलो
3. करैला—प्रति किलो	14. फूलगोभी—प्रति किलो	25. सेव—प्रति किलो
4. बोदी—प्रति किलो	15. सेम—प्रति किलो	26. अमरूद—प्रति किलो
5. भिंडी—प्रति किलो	16. ओल—प्रति किलो	27. खीरा—प्रति किलो
6. झिंगुनी—प्रति किलो	17. टमाटर—प्रति किलो	28. पपीता—प्रति किलो
7. लाल साग—प्रति किलो	18. प्याज—प्रति किलो	29. हरा मटर (छिमी)—प्रति किलो
8. पालक साग—प्रति किलो	19. आलू (आठ सूत से कम नहीं)—प्रति किलो	30. मौसमी—प्रति किलो
9. कदीमा—प्रति किलो	20. नेनुआ—प्रति किलो	31. नाशपाती—प्रति किलो
10. कद्दू—प्रति किलो	21. कच्चु—प्रति किलो	32. अंगूर—प्रति किलो
11. मूली (पत्ता रहित)—प्रति किलो	22. गाजर—प्रति किलो	33. शलजम—प्रति किलो

दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31.03.2021 तक के लिए हरी सब्जियाँ, फल, आलू एवं प्याज प्रति किलो :-

1. कागजी नींबू (मध्यम आकार का)—प्रति नग	12. परवल—प्रति किलो	23. पका केला—प्रति दर्जन
2. बैंगन—प्रति किलो	13. बंधागोभी—प्रति किलो	24. संतरा—प्रति किलो
3. करैला—प्रति किलो	14. फूलगोभी—प्रति किलो	25. सेव—प्रति किलो
4. बोदी—प्रति किलो	15. सेम—प्रति किलो	26. अमरूद—प्रति किलो
5. भिंडी—प्रति किलो	16. ओल—प्रति किलो	27. खीरा—प्रति किलो
6. झिंगुनी—प्रति किलो	17. टमाटर—प्रति किलो	28. पपीता—प्रति किलो
7. लाल साग—प्रति किलो	18. प्याज—प्रति किलो	29. हरा मटर (छिमी)—प्रति किलो
8. पालक साग—प्रति किलो	19. आलू (आठ सूत से कम नहीं)—प्रति किलो	30. मौसमी—प्रति किलो
9. कदीमा—प्रति किलो	20. नेनुआ—प्रति किलो	31. नाशपाती—प्रति किलो
10. कद्दू—प्रति किलो	21. कच्चु—प्रति किलो	32. अंगूर—प्रति किलो
11. मूली (पत्ता रहित)—प्रति किलो	22. गाजर—प्रति किलो	33. शलजम—प्रति किलो


13/11/20


(खण्ड-ग)

दैनिक विविध सामग्रियों (दिनांक 08.12.2020 से 31.03.2021 तक)

क्र०	सामग्री का नाम	क्र०	सामग्री का नाम
1	दतवन (नीम अथवा बबूल का)-प्रति नग	46	कली चुना-प्रति कि०ग्रा०
2	हल्दी (खड़ा)-प्रति कि०ग्रा०	47	रामरस मिट्टी-प्रति कि०ग्रा०
3	मिर्चा (सुखा लाल)-प्रति कि०ग्रा०	48	गेरू मिट्टी-प्रति कि०ग्रा०
4	धनियाँ -प्रति कि०ग्रा०	49	बॉस का सूप-प्रति नग
5	गोलकी -प्रति कि०ग्रा०	50	कुश का घटाई-प्रति नग
6	जीरा-प्रति कि०ग्रा०	51	रेड़ी का तेल-प्रति लीटर
7	अदरक (आदि)-प्रति कि०ग्रा०	52	चापाकल पिस्टन-प्रति नग
8	लहसुन-प्रति कि०ग्रा०	53	चापाकल सॉकेट-प्रति नग
9	गरम मसाला -प्रति कि०ग्रा०	54	चापाकल नट बोल्ट 3"/4"-प्रति नग
10	नमक (टाटा - आयोडीन युक्त)-प्रति कि०ग्रा०	55	चापाकल का हेन्डील-प्रति नग
11	साबुदाना-प्रति कि०ग्रा०	56	चापाकल का हेड कभर-प्रति नग
12	सेवई-प्रति कि०ग्रा०	57	चापाकल का फिल्टर-प्रति नग
13	पीला सरसों (खड़ा)-प्रति कि०ग्रा०	58	चापाकल का प्लन्जर वासर-प्रति नग
14	राई (तोड़ा)-प्रति कि०ग्रा०	59	चापाकल का रड-प्रति नग
15	चना का बेसन-प्रति कि०ग्रा०	60	चापाकल का सिलिन्डर-प्रति नग
16	चुड़ा-प्रति कि०ग्रा०	61	पेन्ट ब्रश-4 ईंच-प्रति नग
17	सूजी-प्रति कि०ग्रा०	62	पेन्ट ब्रश -6 ईंच-प्रति नग
18	अण्डा-(प्रति नग)	63	पेंसील ब्रश-प्रति नग
19	दही (सुधा से प्राप्त नहीं होने पर)-प्रति कि०ग्रा०	64	लाल पेन्ट-प्रति लीटर
20	अंकुरित अनाज (मुंग)-प्रति कि०ग्रा०	65	एल्युमिनियम पेन्ट-प्रति लीटर
21	अंकुरित अनाज (चना)-प्रति कि०ग्रा०	66	नारंगी पेन्ट-प्रति लीटर
22	भूना हुआ चना-प्रति कि०ग्रा०	67	हरा पेन्ट-प्रति लीटर
23	तिलकुट-प्रति कि०ग्रा०	68	उजला पेन्ट-प्रति लीटर
24	सुतली-प्रति कि०ग्रा०	69	काला पेन्ट-प्रति लीटर
25	फिनाईल गोली (25 ग्राम)-प्रति पैकेट	70	ब्लू पेन्ट-प्रति लीटर
26	फिनीट तेल-प्रति ली०	71	क्रीम पेन्ट-प्रति लीटर
27	फिनीट पम्प-प्रति नग	72	थीनर-प्रति लीटर
28	बड़ा ड्रेन ब्रश-प्रति नग	73	लिक ताला (75 नं०)-09 लीवर-प्रति नग
29	मिट्टी का बड़ा घड़ा	74	लिक ताला (65 नं०)-09 लीवर-प्रति नग
30	मिट्टी का घड़ा का ढक्कन-प्रति नग	75	बिजली कॉपर तार-1.5MM (हेवेल्स)-प्रति मीटर
31	छाता (के०सी०पाल)-प्रति नग	76	बिजली कॉपर तार-2.5MM (हेवेल्स)-प्रति मीटर
32	माचिस का डब्बा-10 पीस का	77	बिजली कॉपर तार-4MM (हेवेल्स)-प्रति मीटर
33	भीम पाउडर-प्रति कि०ग्रा०	78	बिजली तार-40/76 (हेवेल्स)-प्रति मीटर
34	गेमेक्सीन पाउडर-प्रति कि०ग्रा०	79	बिजली कॉपर तार-3/20 (हेवेल्स)-प्रति मीटर
35	ब्लीचींग पाउडर-प्रति कि०ग्रा०	80	बिजली कॉपर तार-7/20 (हेवेल्स)-प्रति मीटर
36	ताड़ का पंखा-प्रति नग	81	बल्ब होल्डर-प्रति नग
37	खाली टीन (15 किलो का)-प्रति नग	82	बिजली स्वीच-प्रति नग
38	खाली डब्बा (5 किलो का)-प्रति नग	83	बिजली बल्ब (200 वॉट फिलीप्स)-प्रति नग
39	एसीड बोतल- 500एम०एल०-प्रति नग	84	बिजली बल्ब (100 वॉट फिलीप्स)-प्रति नग
40	नारियल तेल-प्रति लीटर	85	बल्ब शेड (प्लास्टिक का)-प्रति नग
41	लाईफबॉय साबुन (125gm)-प्रति नग	86	LED Bulb-9W (हेवेल्स का)-प्रति नग
42	जानसन बेबी पाउडर (100 ग्राम)-प्रति नग	87	LED Bulb-15W (हेवेल्स का)-प्रति नग
43	जानसन बेबी शॉप (100 ग्राम)-प्रति नग	88	LED Bulb-25W (हेवेल्स का)-प्रति नग
44	नारियल झाड़ु-प्रति कि०ग्रा०	89	टॉर्च बैट्री (एम्पेरेडी) (लीक फुफ)-प्रति नग
45	नारियल रस्सी-प्रति कि०ग्रा०	90	कुदाल (टाटा कम्पनी)-बेट सहित-प्रति नग

[Handwritten signature]
12/11/2021

क्र०	सामग्री का नाम	क्र०	सामग्री का नाम
91	हसुआ-बेट सहित-प्रति नग	118	सखुआ का पटरा (1ईच ग 12ईच ग 7फीट)-प्रति नग
92	खुरपी-बेट सहित-प्रति नग	119	सखुआ का पाटी (3ईच x 3ईच x 7फीट)-प्रति नग
93	सादा कागज-प्रति नग	120	शीषम का पटरा (1ईच x 12ईच x 7फीट)-प्रति नग
94	राजिस्टर (1 जिस्ता)-प्रति नग	121	शीषम का पाटी (3ईच x 3ईच x 7फीट)-प्रति नग
95	राजिस्टर (2 जिस्ता)-प्रति नग	122	आम का पटरा (1ईच x 12ईच x 7फीट)-प्रति नग
96	राजिस्टर (3 जिस्ता)-प्रति नग	123	आम का पाटी (3ईच x 3ईच x 7फीट)-प्रति नग
97	राजिस्टर (4 जिस्ता)-प्रति नग	124	कटहल का पटरा (1ईच x 12ईच x 7फीट)-प्रति नग
98	छोटा कॉपी (1 जिस्ता)-प्रति नग	125	कटहल का पाटी (3ईच x 3ईच x 7फीट)-प्रति नग
99	कॉर्बन ब्लू (कोरस)-प्रति पॉकेट	126	सागवान का पटरा (1ईच x 12ईच x 7फीट)-प्रति नग
100	स्टांप पैड (कैमल)-प्रति नग	127	सागवान का पाटी (3ईच x 3ईच x 7फीट)-प्रति नग
101	स्टांप पैड ईक (कैमल)-प्रति नग	128	बबुल की लकड़ी-प्रति कि०ग्रा०
102	पेन (मोन्टेक्स)-प्रति नग	129	साड़ी, साया, बेलाउज-प्रति सेट
103	फोटो कॉपी कागज (संचुरी A4 Size)	130	समीज, सलवार, दुप्पटा-प्रति सेट
104	फोटो कॉपी कागज (संचुरी Legal)-प्रति पॉकेट	131	
105	स्टेपलर पिन-प्रति पॉकेट	132	
106	टैग-प्रति गुच्छा	133	
107	टी-पीन-प्रति पॉकेट	134	
108	पलाई लीफ-कुट का (रंगीन पट्टी कोटेड)-प्रति नग	135	
109	फोल्डर फाईल-कुट का रंगीन प्लास्टिक कोटेड-प्रति नग	136	
110	पलैट फाईल-पैरासुट डोरी सहित-प्रति नग	137	
111	लिफाफा 12x28 cm-प्रति नग	138	
112	लिफाफा 09x24 cm-प्रति नग		
113	पार्सल लिफाफा मोटा-पीला रंग का 23x36 cm-प्रति नग		
114	सी०डी० कैसेट लिफाफा-प्रति नग		
115	गोंद-Fevi Gum Pidilite-200ml-प्रति नग		
116	सुहागा-प्रति कि०ग्रा०		
117	खाली ड्राम (200ली०)-प्रति नग		


 13/11/2020
 अधीक्षक
 केंद्रीय कारा, बक्सर
 13/11/20